XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निगरानी 1318–एक/14 जिला – शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23.1.15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, कालापीपल जिला शाजापुर के प्रकरण कमांक 37/अ–70/11–12 में पारित आदेश दिनांक 7–4–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने आवेदकगण को कब्जा हटाने के आदेश दिए हैं साथ ही उन्होंने पटवारी को भी इस संबध में रिर्पोट सौंपने के आदेश दिए हैं एवं प्रकरण में आगामी दिनांक 15–4–14 नियत की है । 2– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया तथा प्रकरण का तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण अतिकमण का होकर प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही चल रही थी । प्रकरण में सीमांकन के आधार पर आवेदन दिया गया है और उसमें अधीनस्थ न्यायालय ने यह आदेश पारित किया है कि अप्राधिकृत आधिपत्यधारी किस आधार पर भूमि के अधिकारी हैं इसका कोई स्पष्टीकरण प्रकरण में नहीं है । प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए आवेदकों का अनाधिकृत आधिपत्य हटाने एवं भूमि को रिक्त कर और उस पर पुनः कब्जा न करने हेतु अनुबंध शासन के पक्ष में करने के	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आदेश दिए हैं जिसके विरूद्ध यह प्रकरण इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । भूमि के संबंध में राजस्व मंडल के प्रकरण कमांक 218–3/68 में तत्कालीन सदस्य द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 9–8–71 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है इसमें राजस्व मंडल ने यह व्यक्त किया है कि प्रकरण में एकपक्ष अपने को काबिज बता रहा है और दूसरा पक्ष भूमिस्वामी होने के नाते बात कर रहा है यह स्थिति असंभव है कि अनाधिकृत कब्जा और स्वामित्व दोनो साथ–साथ हों । इसलिए उन्होंने अपर आयुक्त के आदेश को स्थिर रखा और यह भी पाया कि हजारी की मृत्यु 15–9–66 को होकर उसके उत्तराधिकारियों के विरूद्ध जो आदेश पारित किया है वह शून्यवत है और उन्होंने निगरानी को अमान्य किया है और कार्यवाही को हजारी के उत्तराधिकारियों पर प्रभावहीन होना माना है । चूंकि भूमि आवेदकों की नहीं है और शासन की भूमि है इसलिए अनाधिकृत आधिपत्य करने का किसी भी पक्षकार को कोई अधिकार नहीं है । इसलिए भूमि को शासकीय मानते हुए दोनों पक्षों को उससे अलग रखा जाये यह आवश्यक है । प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आलोच्य आदेश स्थिर रखा जाता है तथा यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि शासकीय भूमि पर किसी भी पक्ष का अनाधिकृत आधिपत्य हो तो उसे हटाया जाये । निगरानी अमान्य की जाती है । सदस्य	

माननीय न्यायालय म.प्र राजस्व मण्डल केन्द्र,ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्र0 / निगरानी 2014 R. 1318-2014

1. रतनलाल पिता चुन्नीलाल जाति मीना
2. नन्नुलाल पिता हजारीलाल जाति मीना
3. शिवप्रसाद पिता गौरेलाल जाति मीना
4. मांगीलाल पिता मुन्नालाल जाति मीना
5. रामसिह पिता गंगाराम जाति मीना
6. नारायणसिंह पिता कालुराम जाति गुजर
7. लालजीराम पिता देवबगस जाति बलाई
8. मदनलाल पिता तुलसीराम जाति चमार
9. मोतीलाल पिता पन्नालाल जाति ब्राहम्ण
10. रामप्रसाद पिता चुन्नीलाल जाति मीना
11. रामप्रसाद पिता मिश्रीलाल जाति मीना
12. तेजसिंह पिता बावलसिंह जाति चमार
13. हरिप्रसाद पिता जगन्नाथ जाति देशवाली
14. रामकिशन पिता बटललाल जाति देशवाली
15. घुड़ीलाल पिता मुन्नालाल जाति मीना
16. शीतलसिंह पिता मिट्ठुलाल जाति मीना
17. शिवचरण पिता मोहनलाल जाति बलाई
18. बापूलाल पिता खुमानसिंह जाति बलाई
19. देशराज पिता कुंवरजी जाति मीना
20. शौभाराम पिता बापूलालजी मीना
21. बद्रीप्रसाद पिता हरजी जाति बंजारा
22. राधेश्याम पिता भागीरथ जाति मीना
23. ठाकुरप्रसाद पिता चुन्नीलाल जाति मीना
24. कमलसिंह पिता चुन्नीलाल जाति मीना
25. सूरजसिंह पिता चुन्नीलाल जाति मीना

समस्त निवासीगण ग्राम गुनपीपली तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1. जुझारसिंह
2. नन्दलाल
3. खामसिंह

पुत्रगण भेरूसिंह, जाति पंवार,
निवासीगण ईमलीखेड़ा कृषक ग्राम गुनपीपली
तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर (म0प्र0)

.....अनावेदकगण

पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय कालापीपल जिला शाजापुर के प्रकरण क्र0 37/अ-70/11-12 में पारित आदेश दिनांक 07.04.2014 के विरूद्ध